/ /

क्र.सं. 8

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 15(1)आ.उ./इ.एम.अनु./ई.एम.मार्गदर्शन/2012 दिनांकः 8 अगस्त, 2012

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
(समस्त)

विषयः—स्थाई पंजीयन के आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर एवं अन्य जिलों से विभाग द्वारा वर्ष 1971 से अक्टूबर, 2006 तक जारी किये जाने वाले स्थाई पंजीयन प्रमाणपत्र के संधारित रिकार्ड जो जीर्णशीर्ण एवं सडे–गले की स्थिति में होने के कारण नष्ट करने के लिए निर्देश प्रदान किये जाने का निवेदन किया था। इस संबंध में पुराने रिकार्ड को नष्ट करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :—

जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना से अक्टूबर, 2006 तक जारी किये गये स्थाई पंजीयन के संधारित रजिस्टर्स के सभी कॉलम्स की सूचना सहायक/कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत करवायी जाये तथा उक्त सूचना को सी.डी./पेनड्राईव/फ्लॉपी के रूप में (बैकअप) रखा जावे जिससे भविष्य में पूछे जाने वाले लोकसभा प्रश्न एवं विधानसभा प्रश्न तथा अन्य सूचना बैकअप से निकाली जा सके। सभी स्थाई पंजीयन रजिस्टर्स को भी सुरक्षित एवं बाइन्डेड करके रखा जावे। स्थाई पंजीयन एवं अन्य पंजीयन आवेदन पत्रों तथा प्रमाणपत्रों के नष्टीकरण की कार्यवाही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2008 के वोल्यूम–प्रथम, नियम 327, परिशिष्ठ–6 (पृष्ठ संख्या 469 एवं 535) के अनुसार नियमानुसार महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदन पश्चात् की जावे।

भवदीय

मधुसूदन 8.8.12

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग